कार्यालय, नगर परिषद, बरबीघा

पत्रांक............/दिनांक........

प्रेषकः—

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बरबीघा।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
समाजिक प्रेक्षत्र –1,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना 800001 ।

विषयः— निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–687/2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में सादर सूचित करना है कि नगर परिषद, बरबीघा का निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 687/2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जा रही है ।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :–64 पन्ना।

विश्वासभाजन,

29/06/19

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बरबीघा

ज्ञापांक 801 / दिनांक 29-06-19

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक –सह–संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन,

29/06/19

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बरबीघा

कार्यालय, नगर परिषद, बरबीघा।

पत्रांक 794 / दिनांक 29-06-19

प्रेषकः—

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बरबीघा।

सेवा में,

लेखा परीक्षा अधिकारी,
सामाजिक प्रक्षेत्र—1 स्थानीय निकाय,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
पटना—800001 ।

विषयः— **नगर परिषद, बरबीघा के निरीक्षण प्रतिवेदन सं0— 302/2016—17 676/2013—14, 687/2011—12एवं 621/2008—09 अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि निदेशानुसार बोर्ड से लंबित कंडिकाओं का निराकरण कर प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतू भेजी जा रही है।

कृप्या प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाए।

<u>अनुलग्नकः</u>—
<u>1.</u> 3 पन्नों में।

विश्वासभाजन,
29/06/19
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बरबीघा।

बैठक सं0–...08. दिनांक– 12.12.18... की सच्ची प्रतिलिपि

प्रस्ताव सं0– 01–महालेखाकर, पटना द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0– 302 / 16–17 (वर्ष 2013–14 से 15–16) एवं निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 676 / 13–14 (वर्ष 2011–12 से 12–13) का अनुपालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किए गए अनुपालन प्रतिवेदन को प्रधान सहायक द्वारा कंडिकावार पढ़कर समिति के समक्ष सुनाया गया। जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अनुपालन प्रतिवेदन में अंकित कंडिका में लेखा परीक्षा दल द्वारा उठाये गये बिन्दु के आलोक में साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार, पटना का उपलब्ध कराई जाए।

समिति इस कार्य के अनुपालन हेतू प्रधान सहायक एवं लेखापाल को प्राधिकृत करती है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बरबीघा
(शेखपुरा)

बैठक सं0–..09.. दिनांक– 06.03.19.. की सच्ची प्रतिलिपि

प्रस्ताव सं0– 02–महालेखाकर, पटना द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0–687/11–12 (वर्ष 2008–09 से 10–11 तक) एवं निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–621/2008–09 (वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक) का अनुपालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किए गए अनुपालन प्रतिवेदन को प्रधान सहायक द्वारा कंडिकावार पढ़कर समिति के समक्ष सुनाया गया। जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अनुपालन प्रतिवेदन में अंकित कंडिका में लेखा परीक्षा दल द्वारा उठाये गये बिन्दु के आलोक में साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार, पटना का उपलब्ध कराई जाए।

समिति इस कार्य के अनुपालन हेतू प्रधान सहायक एवं लेखापाल को प्राधिकृत करती है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, अरवल
(जेहानाबाद)

(69)

कार्यालय,नगर परिषद,बंरबीघा।

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–687/11–12 का अनुपालन प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष – 2008–09 से 2010–11 तक

अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिकावार निम्न है:– **अनुपालन**

कंडिका 1. प्रस्तावना :– कुछ नहीं कहना है।
कंडिका 2. प्रशासन :– तथैव
कंडिका 3. लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र :– तथैव
कंडिका 4. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन :– नहीं
कंडिका 5.वितीय व्यवहार :

अंक्षेकण आपत्ति

(i) व्याज की राशि रोकड़ पंजी में दर्ज कर ली गई तथा साक्ष्य के तौर पर खाता सं0 55500067531 का पासबुक एवं रोकड़ पंजी का छायाप्रति संलग्न है अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा करे।

(ii) मैचिंग ग्राण्ट एवं बाहरवी वित की राशि नकदीकरण कोषागार पदाधिकारी द्वारा मौखिक बताया गया कि महालेखाकार के द्वारा आवंटन का पत्र प्राप्त हुआ परन्तु राशि नहीं भेजी गयी जिसके कारण नकदीकरण नहीं हो सका अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा करें।

कंडिका 6.(i) सूचनात्मक

(ii)सूचनात्मक

अंकक्षेण टिप्पणी

(क) कुल योजनाओं को मुहल्लावासियो द्वारा अनुरोध किया गया था परन्तु योजना का कार्य प्रारम्भ हुआ तो कुछ व्यक्तियों द्वारा विवाद कर दिया गया जिसके कारण योजनाओं को बंद किया गया अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा करें।

(ख) ये राशि पूर्ण योजनाओं का एस0डी0, व्याज की राशि तथा कुछ योजनाओं का कार्य प्रारम्भ नहीं हुई था परन्तु व्याज की राशि वापस कर दी गई साक्ष्य संलग्न है अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा करे।

कंडिका 7. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

अंकक्षेण टिप्पणी

(क) रोकड़ पंजी के आय पक्ष में व्याज की राशि का प्रविष्ट कर ली गई है तथा इसका मिलान कैशबुक एवं पासबुक कर ली गई है अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा करे।

Attested
22/06/17
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बरबीघा
(शेखपुरा)

(ख) व्याज की राशि तथा कुछ आवंटन की राशि शेष बची हुई है तथा वर्तमान में विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में शेष राशि DAY-NULM मद में हस्तांरित कर दी गयी है ।

कंडिका 8.बजट प्राक्कलन

अंकेक्षण महोदय द्वारा दिये गये निर्देश को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता है साक्ष्य संलग्न है अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा की जाए।

कंडिका9. सरकारी अनुदान

दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है ।

कंडिका 10. नगर परिषद, बरबीघा कमिटी के द्वारा मकान कर बढ़ोत्तरि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई जिस कारण पुराने दर पर राशि वसूल किया जा रहा है । अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा की जाए।

कंडिका 11. अंक्षेकण अवधि के समय कर्मी की कमी थी जिस कारण राशि को ससमय वसूल करना संभव नहीं था इस कारण कमिटी द्वारा निर्णय लिया गया है कि विलम्ब शुल्क की राशि वसूल नहीं किया जाएगा साक्ष्य संलग्न है परन्तु अब आवश्यक कार्यवाही किया जायेगा जिससे विलम्ब शुल्क वसूल किया जा सके ।

कंडिका 12. खनिज के स्वामित्व कर की कटौती नहीं किया जाना :—अनुपालन किया जा रहा है ।

कंडिका 13. अंक्षेकण महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के बाद 1 % श्रम शेष की कटौती कर संबंधित विभाग को जमा किया जाता है साक्ष्य संलग्न है अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा की जाए।

कंडिका 14. अनुदान का विचलन जानकारी के अभाव के कारण व्यय किया गया परन्तु अंकेक्षण महोदय द्वारा दिये गये निर्देश को अनुपालन किया जाता है भविष्य में भी अनुपालन किया जायेगा अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा की जाए।

कंडिका 15 अनुपालन किया जा रहा है

कंडिका 16. जानकारी के अभाव के कारण हुई तथा अंकेक्षण महोदय द्वारा लगाये गए आपत्ति के उपरान्त अनुपालन किया जाता है साक्ष्य संलग्न है अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा की जाए।

कंडिका 17 निरस्त :—सूचनात्मक

कंडिका 18. :—सूचनात्मक

कंडिका 19. जानकारी के अभाव के कारण तथा अंकेक्षक महोदय के द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा की जाए।

Attested

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बरबीघा
(शेखपुरा)

82

कंडिका 20. ~~ये योजना~~ तकनीकी दृष्टिकोण से यह नाला निर्माण जो कि पूर्णतः शहर के मध्य एवं विभिन्न भागों से गुजरता हैं। अतः इसे निर्माण सुविधा को ध्यान में रखते हुए खंडवार किया गया।

कंडिका 21. अनुपालन किया जा रहा है

कंडिका 22. अनुपालन किया जा रहा है तथा भविष्य में भी किया जायेगा।

कंडिका 23. जानकारी के अभाव के कारण किया गया परन्तु अंकेक्षक अवधि के उपरान्त सुचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा, ही विज्ञापन का प्रकाशन किया जाता है साक्ष्य संलग्न है अतः अंकेक्षण महोदय से निवेदन है कि इस कंडिका विलोप्त करने की कृपा की जाए।

कंडिका 24.भविष्य में अनुपालन किया जायेगा ।